





माह सितम्बर 2022 के उत्तर मध्य रेलवे/रे.सु.ब. प्रयागराज के चयनित अच्छे कार्य की रिपोर्ट निम्नवत है:-

क्र. सं.	मण्डल	विवरण	फोटो
01.	प्रयागराज	<p>रे.सु.ब. पोस्ट-चुनार- दिनांक 26.09.2022 को आउटपोस्ट इंचार्ज चुर्क, उ०नि० राहुल यादव मय हमराह स्टाफ व जीआरपी चौकी इंचार्ज सोनभद्र द्वारा चेकिंग एवं रात्रि गश्त के दौरान सोनभद्र रेलवे स्टेशन के पश्चिमी किनारे के पास घुमंतू/खानाबदोश समुदाय की 06 महिलाओं को संदिग्ध रूप से पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उनके पास अवैध गांजा होना स्वीकार किया गया तथा बताया कि गांजे को लेकर चोपन होते हुए सतना मध्य प्रदेश जाने की फिराक में थे। तलाशी मे सभी महिलाओं के पास से अलग-अलग 06 बैग में कुल 107 किलो ग्राम गांजा बरामद हुआ।</p> <p>अभियुक्तगण महिलाओं के नाम व पता- 01. विनीता मोगिया पत्नी स्वर्गीय विनोद मोगिया, उम्र 35 वर्ष, निवासी-सिंगेपुर, थाना-महरौनी, जिला-सतना म०प्र०। 2.इन्जिना बहेलिया पत्नी कवल लाल, उम्र 32 वर्ष, निवासी-पिथौरबाद, थाना-नागौद, जिला सतना, मध्यप्रदेश। 3. पूजा बहेलिया पत्नी राहुल, उम्र 28 वर्ष, निवासी-ग्राम बाबूपुर, थाना-नागौद जिला सतना, मध्य प्रदेश। 4. नेहा बहेलिया पत्नी कांता लाल, उम्र 25 वर्ष निवासी-ग्राम बाबूपुर, थाना-नागौद, जिला-सतना, मध्य प्रदेश। 5. अनीता बहेलिया पत्नी बृजपाल, उम्र 35 वर्ष, निवासी-तियारपुर, थाना-मायापुर, जिला-सीपरी, मध्य प्रदेश। 6. अमीषा बहेलिया, पत्नी हिना लाल, उम्र 26 वर्ष, निवासी-सीदवाई, थाना-महरौनी, जिला-सतना, मध्य प्रदेश</p> <p>बरामद माल की कीमत लगभग- 6,48,000/-</p> <p>कृत कार्यवाही- उपरोक्त सभी महिलाओं को गिरफ्तार कर निम्न मुकदमा पंजीकृत किये गये- 1- मु.अ.स. 96/22 u/s 8/20 NDPS ACT, GRP मिर्जापुर 2- मु.अ.स. 97/22 u/s 8/20 NDPS ACT, GRP मिर्जापुर 3- मु.अ.स. 98/22 u/s 8/20 NDPS ACT, GRP मिर्जापुर 4- मु.अ.स. 99/22 u/s 8/20 NDPS ACT, GRP मिर्जापुर 5- मु.अ.स. 100/22 u/s 8/20 NDPS ACT, GRP मिर्जापुर 6- मु.अ.स. 101/22 u/s 8/20 NDPS ACT, GRP मिर्जापुर</p> <p>गिरफ्तार करने वाली टीम के सदस्य- RPF आउट पोस्ट चुर्क- 1- उप निरीक्षक राहुल यादव, 2- हेड कां. केशव देव शर्मा 3- कां. सत्येंद्र कुमार मिश्रा GRP चौकी सोनभद्र- 1- उप निरीक्षक बाडू यादव, 2- कां. शैलेंद्र सरोज, 3- कां. नितेश कनौजिया, 4- महिला कां. रुचि अग्रवाल</p>	
02.	प्रयागराज	<p>रे.सु.ब. पोस्ट कानपुर- दिनांक 20.09.2022 को निरीक्षक बुधपाल के पर्यवेक्षण में उपनिरीक्षक अमित द्विवेदी रे.सु.ब पोस्ट कानपुर, हेड कां. सैय्यद अली अब्बास डिटेक्टिव विंग कानपुर व उपनिरीक्षक पंकज जीआरपी/कानपुर मय स्टाफ द्वारा यात्रियों के मोबाइल चोरी व लूट करने वाले 02 आरोपियों को सिटी साइड सरकुलेटिंग वाहन स्टैंड के पास टावर के पास बने काली माता के मंदिर के चबूतरे पर पकड़ा गया।</p> <p>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:- 1.मुसम्मि राजन यादव पुत्र हरिशंकर, उम्र-25 वर्ष, निवासी-किराए पर गुड्डू का मकान, हरी मजार के सामने, थाना-किदवईनगर, जिला-कानपुर। 2. मो० शानू पुत्र यासीन, उम्र-23 वर्ष, निवासी-130/189 चुन्नन के किराए के मकान में, बगाही, थाना-बाबूपुरवा, जिला-कानपुर।</p>	

		<p>बरामद सम्पत्ति- 1. 02 अदद विभिन्न कंपनियों के मोबाइल 2. चोरी किये हुए 10 बंडल सिगरेट के पैकेट 3. 25000/- रुपये नगद बरामद संपत्ति की अनुमानित कीमत- 01 से 1.5 लाख लगभग</p> <p>संबद्ध मुकदमे- 1-मु0अ0सं0 119/22 अंतर्गत धारा 392 आईपीसी। 2-मु0अ0सं0 188/22 अंतर्गत धारा 380 आईपीसी। 3-मु0अ0सं0 226/22 अंतर्गत धारा 380 आईपीसी। 4-मु0अ0सं0 282/22 अंतर्गत धारा 379, आईपीसी।</p> <p>कृत कार्यवाही- बरामद संपत्ति के आधार पर धारा 34, 411 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई।</p> <p>गिरफ्तार करने वाली टीम के सदस्य- रे.सु.ब पोस्ट कानपुर- उपनिरीक्षक अमित कुमार द्विवेदी रे.सु.ब. पोस्ट कानपुर हेड कां. सैयद अली अब्बास डिटेक्टिव विंग कानपुर उपनिरीक्षक पंकज जीआरपी/कानपुर</p>	
03.	झांसी	<p>01. रे.सु.ब.पोस्ट-वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन दिनांक 19.09.2022 को निरीक्षक रे.सु.ब.पोस्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन के नेतृत्व में जीआरपी झांसी द्वारा संयुक्त रूप से 02 शातिर मोबाइल चोरों को मय अदद चोरित मोबाइल के साथ झांसी स्टेशन के कुली कार्यालय के पास पकड़ा गया। आरोपी द्वारा बताया गया कि उक्त मोबाइल को पूर्व में झांसी स्टेशन तथा आने जाने वाली ट्रेनों से चुराया था।</p> <p>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- 01. महेंद्र वर्मा पुत्र स्व मनीराम वमा उम्र 30 वर्ष, निवासी-काली माई ताल पुरा, थाना-नवाबाद, जिला-झांसी (उ.प्र) 02. राजू जाटव उर्फ शंकर पुत्र स्व रमेश जाटव, उम्र 40 वर्ष, निवासी-करेरा, थाना-करेरा, जिला-शिवपुरी(म.प्र)</p> <p>बरामदगी- 01. सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन 02. मोटोरोला कंपनी का मोबाइल फोन 03. ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन 04. विवो कम्पनी का मोबाइल फोन</p> <p>कुल कीमत करीब 1,23,000/- रुपए "अनावरित अभियोग" 01 .मु0अ0सं0- 286/2022 धारा 380, 411आईपीसी 02. मु0अ0सं0-314/2022 धारा 380, 411 आईपीसी 03. मु0अ0सं0- 399/2022 धारा 380, 411 आईपीसी</p> <p>गिरफ्तार करने वाली टीम- 01 उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह यादव सीपीडीटी 02.आरक्षक हेमंत कुमार सीपीडीटी</p> <p>जीआरपी झांसी स्टेशन 01.निरीक्षक राजेश कुमार जीआरपी झांसी 02. उप निरीक्षक योगेन्द्र मिश्रा जीआरपी झांसी</p>	
04.	झांसी	<p>रे.सु.ब पोस्ट ग्वालियर- दिनांक 17.09.2022 को सीपीडी टीम, ग्वालियर द्वारा मुखबिरखास से सूचना मिली कि दतिया रेलवे स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया में एक व्यक्ति गांजा लिए घूम रहा है, सूचना पर कार्यवाही करते हुए स्थानीय पुलिस थाने से समन्वय स्थापित करते हुए हुलिए के आधार संदिग्ध व्यक्ति को मय 22.30 किग्रा0 अवैध गांजे के साथ पंडोखर पुलिस थाने की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत पकड़ा गया। अभियुक्त ने बताया कि वह ट्रेनों बदलते हुए विशाखापटनम से गांजा लेकर आया था तथा दतिया शहर में बेचने की फिराक में था।</p> <p>अभियुक्त का विवरण- प्रबोध मंडल पुत्र नकुल मंडल, उम्र-50 वर्ष, निवासी-मिशीपुर, मालदा (पश्चिम बंगाल)</p>	

		<p>बरामद गांजे की कुल कीमत- लगभग ₹0 4,46,000/-</p> <p>गिरफ्तार करने वाली रे.सु.ब टीम-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उप निरीक्षक रविन्द्र सिंह राजावत सीपीडीटी ग्वालियर 2. प्रधान आरक्षक दीपेंद्र सिंह भदौरिया सीपीडीटी ग्वालियर 3. आरक्षक शकील खान सीपीडीटी ग्वालियर 4. आरक्षक राजकुमार सिंह तोमर सीपीडीटी ग्वालियर <p>कृत कार्यवाही- अभियुक्त के विरुद्ध पंडोखर, पुलिस थाना जिला दतिया में अपराध क्र० 184/22 अंतर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया।</p>	
05.	आगरा	<p>दिनांक 13.09.2022 को CPDS/MTJ टीम उपनिरीक्षक लोकेन्द्र सिंह, कां. जितेंद्र सिंह, आरक्षक ओमवीर सिंह CPDS/AGC, आरक्षक राजवीर सिंह CPDS/AGC, उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र गोस्वामी GRP/MTJ मय स्टाफ द्वारा अपराधिक रोकथाम, चैकिंग के दौरान मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में 03 व्यक्तियों को बैगों के साथ गिरफ्तार किया गया। पहले व्यक्ति के बैग के अंदर से 7.300 किग्रा. गांजा तथा दूसरे व्यक्ति के बैग के अंदर से 7.300 किग्रा. गांजा तथा तीसरे व्यक्ति के बैग के अंदर से 4.800 किग्रा. गांजा बरामद</p> <p>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. सोनू कुमार पुत्र श्री राज नारायण, 24 वर्ष, निवासी-ग्राम पुराना भोजपुर, थाना-डुमरा वजिला बक्सर बिहार। 02. अजीत सिंह पुत्र श्री जयवीर सिंह, उम्र 29 वर्ष, निवासी-ग्राम लालपुर, थाना-किच्छा, जिला-उधमसिंह नगर (रुद्रपुर) उत्तराखंड। 03. नारायण दास पुत्र आत्माराम, उम्र 60 वर्ष, निवासी-म.न./35 अशोक नगर केदार नगर सुख लाल स्कूल के सामने, थाना-शाहगंज, जिला-आगरा, उत्तर प्रदेश। बरामद गांजा 20 किग्रा० की अनुमानित कीमत 2,00,000/- रुपये। <p>पंजीकृत अभियोग का विवरण-</p> <p>01.मु०अ०सं. 243/2022, 244/2022, 245/2022 अंतर्गत धारा 8/20, (NDPS Act) GRP/MTJ</p>	